

I/13112/2021

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

E-Mail

प्रेषक,

जय सिंह, भा० प्र० से०  
निदेशक,  
भू-अभिलेख एवं परिमाण,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी,  
पटना/सारण (छपरा)/मुजफ्फरपुर/दरभंगा/भोजपुर (आरा)/कैमूर (भभूआ),  
बक्सर/गोपालगंज/भागलपुर/नवादा/समस्तीपुर  
बन्दोबस्त पदाधिकारी,  
बाँका/सहरसा/बेगूसराय/लखीसराय/जहानाबाद/अरवल/किशनगंज/अररिया/  
कटिहार/सीतामढ़ी/सुपौल/मधेपुरा/जमुई/शेखपुरा/नालन्दा/पंचम्यारण (बेतिया)  
पूर्णिया/खगडिया/मुंगेर/शिवहर  
राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान,  
शास्त्रीनगर,  
सहायक निदेशक,  
भू-अभिलेख एवं परिमाण

पटना, दिनांक :-

विषय :- मुख्य शीर्ष- 2029-भू-राजस्व-उप मुख्य शीर्ष -00- लघु शीर्ष 102- सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य - उप शीर्ष -0101- सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु आपके नियंत्रणाधीन कार्यालय में पदस्थापित पदाधिकारी/कर्मियों को वेतनादि मद (संविदा सहित) में कुल- **35,81,72,800/-** (पैंतीस करोड़ एक्कासी लाख बहत्तर हजार आठ सौ) रुपये मात्र का आवंटन निम्नानुसार निर्गत किया जाता है :-

क्र०स०	कार्यालय का नाम	विषय शीर्ष							योग
		01 01 वेतन	01 03 जी०या०भ 0	01 04 म०कि०भ 0	01 05 परिवहन भत्ता	01 06 चि०भत्ता	01 07 अन्य भत्ता	28 02 संविदा सेवाएँ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, पटना	3000000	600000	450000	200000	86000	5000	1500000	<b>5841000</b>
2	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, सारण (छपरा)	750000	100000	88000	3500	24000	0	8000000	<b>8965500</b>
3	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	200000	100000	17000	7500	2000	0	1000000	<b>1326500</b>
4	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, दरभंगा	1200000	600000	1500	57000	33000	0	2000000	<b>3891500</b>
5	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, भोजपुर (आरा)	700000	200000	89000	1300	20000	4000	0	<b>1014300</b>
6	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, कैमूर (भभूआ)	800000	200000	49000	0	12000	0	2000000	<b>3061000</b>

I/13112/2021

क्र०स०	कार्यालय का नाम	विषय शीर्ष							योग
		01 01 वेतन	01 03 जी०या०भ०	01 04 म०कि०भ ०	01 05 परिवहन भत्ता	01 06 चि०भत्ता	01 07 अन्य भत्ता	28 02 संविदा सेवाएँ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, बक्सर	700000	200000	50000	0	16000	0	800000	1766000
8	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, गोपालगंज	400000	200000	37000	0	8000	0	800000	1445000
9	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, भागलपुर	300000	200000	35000	8000	10000	0	800000	1353000
10	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, नवादा	250000	150000	29000	0	3800	0	200000	632800
11	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, समस्तीपुर	0	0	0	0	0	0	3000000	3000000
12	बन्दोबस्त कार्यालय, बाँका	2000000	600000	100000	0	100000	0	15000000	17800000
13	बन्दोबस्त कार्यालय, सहरसा	600000	700000	48000	0	0	0	0	1348000
14	बन्दोबस्त कार्यालय, बेगूसराय	2500000	700000	300000	95000	78000	0	60000000	63673000
15	बन्दोबस्त कार्यालय, लखीसराय	1000000	200000	150000	0	81000	0	15000000	16431000
16	बन्दोबस्त कार्यालय, जहानाबाद	1500000	250000	97000	0	21000	0	15000000	16868000
17	बन्दोबस्त कार्यालय, अरवल	900000	250000	34000	0	12000	0	15000000	16196000
18	बन्दोबस्त कार्यालय, किशनगंज	1200000	250000	100000	0	19000	0	15000000	16569000
19	बन्दोबस्त कार्यालय, अररिया	900000	150000	50000	0	19000	2200	600000	1721200
20	बन्दोबस्त कार्यालय, कटिहार	2000000	300000	200000	48000	65000	0	10000000	12613000
21	बन्दोबस्त कार्यालय, सीतामढ़ी	900000	300000	0	0	0	5000	10000000	11205000
22	बन्दोबस्त कार्यालय, सुपौल	2000000	200000	150000	0	40000	0	15000000	17390000
23	बन्दोबस्त कार्यालय, मधेपुरा	2500000	400000	150000	0	50000	0	0	3100000
24	बन्दोबस्त कार्यालय, जमुई	800000	400000	100000	0	50000	0	15000000	16350000
25	बन्दोबस्त कार्यालय, शेखपुरा	1000000	400000	60000	0	50000	0	20000000	21510000
26	बन्दोबस्त कार्यालय, नालन्दा	2500000	1200000	200000	50000	70000	4000	25000000	29024000
27	बन्दोबस्त कार्यालय, प०चम्पारण (बैतिया)	1200000	300000	70000	20000	20000	0	9000000	10610000
28	बन्दोबस्त कार्यालय, पूर्णियाँ	1200000	400000	150000	19000	11000	0	8000000	9780000
29	बन्दोबस्त कार्यालय, खगड़िया	800000	300000	50000	0	20000	0	10000000	11170000

I/13112/2021

क्र०स०	कार्यालय का नाम	विषय शीर्ष							योग
		01 01 वेतन	01 03 जी०या०भ०	01 04 म०कि०भ ०	01 05 परिवहन भत्ता	01 06 चि०भत्ता	01 07 अन्य भत्ता	28 02 संविदा सेवाएँ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	बन्दोबस्त कार्यालय, मुंगेर	2500000	500000	200000	50000	75000	0	15000000	18325000
31	बन्दोबस्त कार्यालय, शिवहर	2000000	500000	250000	88000	0	0	8000000	10838000
32	राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर	300000	100000	80000	50000	10000	0	0	540000
33	सहायक निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय	1500000	800000	300000	200000	15000	0	0	2815000
कुल योग :-		40100000	11750000	3684500	897300	1020800	20200	300700000	358172800

(पैतीस करोड़ एककासी लाख बहत्तर हजार आठ सौ रूपये मात्र)

- यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक – 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं राज्यादेश संख्या 314 दिनांक 27.02.2019 के आलोक में निर्गत किया जाता है।
- अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।
- कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों को मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/ उप शीर्ष/इकाई कोड/माँग संख्या – 40 एवं विपत्र कोड 40 – 2029001020101 अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से करने होंगे ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।
- आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी निदेशालय द्वारा निर्गत पत्र संख्या 11650 दिनांक 21.12.2020 के साथ संलग्न प्रपत्रों में प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
- बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा सकें।
- किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
- नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाणपत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
- इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को ही दी जा रही है।
- उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की माँग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
- आवंटित राशि से बकाया वेतन (एरियर) राशि की निकासी न की जाय। इसके लिए कर्मचार ब्यौरा सहित अलग से राशि की माँग की जाय।

13. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

विश्वासभाजन

**प्रतिलिपि :-**

1. महालेखाकार, बिहार, पटना,
2. वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा),
3. संबंधित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी,
4. सहायक निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना,
5. लेखा शाखा, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना,
6. संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
7. श्रीमति सरीता कुमारी, प्रोग्रामर आई0टी सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना को विभागीय वेबवार्ड पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।